Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **हनुमानगढ़ में जल संसाधन विभाग के सिचांई पटवारी को उसके दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) सहित 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *13 अप्रैल।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की हनुमानगढ़ इकाई द्वारा आज मंगलवार को कार्यवाही करते हुये जल संसाधन विभाग खण्ड–भादरा के सिचांई पटवारी पटवार हल्का परिलिका विनोद कुमार को उसके दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) गोविन्दराम के साथ परिवादी से 15 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. हनुमानगढ़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि पानी की बारी को परिवादी के नाम परिवर्तित करने की एवज में सिचांई पटवारी, पटवार हल्का परलिका विनोद कुमार द्वारा 20 हजार रुपये की राशि रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की हनुमानगढ़ इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री तेजपाल सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री सुभाष चन्द्र एवं उनकी टीम के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) गोविन्द राम पुत्र श्री देवीलाल निवासी परलिका, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ को परिवादी से 15 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया। विनोद कुमार पुत्र श्री रामलाल मेघवाल निवासी वी.पी.ओ. खाराखेड़ा, ढाणी 9 के एच.आर., हनुमान मंदिर के पास, टिब्बी, हनुमानगढ़ हाल सिचांई पटवारी पटवार हल्का परलिका, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ को भी गिरफ्तार किया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।